13/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 15/7/25 को पेश हो।

15/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

25/8/25 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुकदमा दरकार में है तथा विवादित भूमि में प्रार्थी के हिस्से निहित होने वाले विवादित भूमि के हिस्से विशेष भूमि का बंटवारा करने प्रार्थी द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के हिस्से विशेष की भूमि का बंटवारा नहीं करा कर पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी क्र. 1 के पक्ष में अन्तर्वाद निम्नानुसार पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 673/96 रकबा 0.0190 हैक्टेयर, ख.नं. 674/96 रकबा 0.6410 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर के खातेदारों के दावी तहसील व जिला सीकर की भूमि पर लड़ने वाले हिस्सा विशेष भूमि का बंटवारा नहीं करें। पत्रावली मुताबिक हुक्म होकर नस्ती कुमेद। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर